(b) if so, what is the composition of the Committee functioning at Bombay; and

(c) what is the number of proposals received by the Committee during the last one year with the details of area, construction and the rent offered and fixed by the Committee?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) According to existing rules/Orders for hiring of accommodation, where the C.P.W.D. operates, it is invariably to be consulted regarding reasonableness of rent. Where the C.P.W.D. does not operate, the authority hiring the accommodation should avail of the assistance of the appropriate local Public Works Department or Rent Control Authority and obtain a certificate of reasonableness of rent from such authorities. The Ministry of Works and Housing has constituted small Committees at Delhi, Bombay, Calcutta, Simla and Nagpur for furnishing the reasonable rent certificate. The rent intimated by the Committee is only recommendatory. Final decision rests with the authority hiring the accommodation.

(b) Superintending Engineer of CPWD; Executive Engineer concerned of the CPWD and Estate Manager, Bombay.

(c) The requisite details are being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

उर्वरकों में मिलावट

†2810. **श्री सत्यपाल मलिक**: क्या **कृषि और ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और सहकारी क्षेत्र में उत्पादन किए जाने वाले उर्वरकों में डीलरों द्वारा मिलावट रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) उर्वरकों और कीटनाशकों के नमूनों के परीक्षण करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रलाल चन्द्राकर): (क) सहकारी उर्वरक संयंत्रों में उत्पादित उर्वरक को उनके द्वारा केवल सहकारी संस्थानों को ही बेचा जाता है । सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उत्पादन को आंशिक रूप से सहकारी समितियों और आंशिक रूप से निजी डीलरों के नेटवर्क के माध्यम से बेचा जाता है । इस प्रयोजन के लिए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना के अनुसार निरीक्षकों द्वारा समय समय पर नमूने लिए जाते हैं और इन नमूनों की विभिन्न उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में जांच की जाती है । जिनके नमूने घटिया/मिलावटी पाए जाते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है । राज्य सरकारों, जिनकी उर्वरक (नियंत्रण) आदेश को लागू करने की मूलत जिम्मेदारी है, से भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में नमूने लेकर और अपने पास उपलब्ध गुणवत्ता नियंत्रण और प्रवर्तन अवसंरचना को सुदृढ़ बना कर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करें ।

(ख) **उर्वरक**: देश में केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद सहित 44 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं, जिनकी क्षमता प्रति वर्ष 71,000 नमूनों का विश्लेषण करने की है

†Previously Unstarred Question No. 1830, transferred from the 12th August, 1985.

कीटनाशी : केन्द्रीय सरकार ने फरीदाबाद में एक केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला स्थापित की है जिसकी एक शाखा वनस्पति संगरोध और धूमीकरण केन्द्र, बम्बई और दूसरी शाखा केन्द्रीय वनस्पति संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद में है ताकि कीटनाशियों के गुणवत्ता स्तर को सुनिश्चित करने के लिए कीटनाशियों के नमूनों का परीक्षण करने में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की मदद की जा सके । इसके अतिरिक्त, इस संबंध में राज्य सरकारों के संसाधनों के पूरक के रूप में बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, हैदराबाद और कानपुर में 5 क्षेत्रीय कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं । 18 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र ने प्रति वर्ष लगभग 34,000 नमूनों की क्षमता वाली 35 कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं पहले ही स्थापित कर ली हैं ।

Subsidy for foodgrains

2811. SHRI SHANKER SINH VAGHELA:

SHRI ASHWANI KUMAR:

SHRI KAILASH PATI MISHRA:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what is the amount of subsidy given for foodgrains during the last three years, year-wise and during the current year;

(b) what are the estimates in regard to increase or decrease in the amount of subsidy for the next three years; and

(c) what was the average amount of subsidy given since the inception of the scheme?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): (a) The provision for food subsidy made in the Budget of the Department of Food during the last three years and the current year (BE-1985-86) is indicated below :—

(Rs. in Crores)

Year	Budget Provision
1982-83	710·00
1983-84	835·00
1984-85	1100·00
1985-86	1100·00

(b) *It is difficult* to anticipate the variation in the amount of subsidy during the next three years, as the amount would depend on many factors, e. g. quantum of off-take, rate of various taxes, rail and road freight, rate of landing charges in case of imports, storage charges, administrative over-heads, handling expenses, support price and the issue price notified by the Government, etc.

(c) The average subsidy from 1969-70 to 1984-85 is Rs. 443.12 crores per year.

Indo-US collaboration in agricultural development

2812. SHRI R. SAMBASIVA RAO: Will the Minister of AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India and the United States have recently decided to collaborate in assisting the third world countries in their agricultural development programmes; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR): (a) Yes, Sir.